


OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS (HoFF),
ARANYA BHAWAN, JHALANA INSTITUTIONAL AREA, RAJASTHAN, JAIPUR

Issued to M/s _____

| | |
|---------------------------|--|
| Name of Work | Operation and comprehensive maintenance of sewage treatment plant and water treatment plant at Aranya Bhawan, Jhalana Doongri, Jaipur. |
| Estimated Cost | Rs. 3.60 Lacs |
| Cost of Tender Document | Rs. 500/- |
| Earnest Money | Rs. 7200/- |
| Period of Completion | 12 Months |
| Date of Sale of Tender | 11.06.2019 up to 11:00 AM |
| Date of Receipt of Tender | 11.05.2019 up to 01:30 PM |
| Date of Opening of Tender | 11.06.2019 at 03:00 PM |

H-Schedule

| S.No. | Particulars | Unit | Qty. | Per month Rate to be quoted by contractor with IGST/SGST | Amount |
|-------|--|-------|-------|--|--------|
| 1. | Operation and comprehensive maintenance of sewage treatment plant 15KLD and water treatment plant including cost of providing one operator hours basis. Periodical checking of the plant, routine maintenance, necessary safety arrangement including cost of consumable chemical, carbon, softener resin salt and media as per requirement. The operator shall have to check the level of chlorine in storage tank and mention in the daily log book. | Month | 12.00 | | |
| | Total | | | | |
| | (Rs. | | | only) | |


Conservator of Forests & TA
to PCCF (HoFF),
Rajasthan, Jaipur

Signature of Contractor
(Name and Address, Telephone No.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS (HoFF),
ARANYA BHAWAN, JHALANA INSTITUTIONAL AREA, RAJASTHAN, JAIPUR

Scope to be covered by under Operation / Maintenance Contract :

1. Contractor should depute qualified operator to operate the above System in 1 Shift. / day...
2. Contractor should maintain the required MLSS in the aeration tank.
3. Contractor should back wash the MGF & ACF on daily basis.
4. Contractor should prepare the Chemical of required ppm.
5. Contractor should check the level of chlorine storage tank daily.
6. Contractor should carry out setting up of dosing ppm as per the outlet quality.
7. Contractor should note the daily consumption of chemical in a log book.
8. Contractor should check if the suspended solids are present in the filter feed tank, checking of proper settlement is to be done in the secondary settling tank.
9. Contractor should carry out checking of Filter feed water pump.
10. Payment of the Contractor will be made quarterly.



Conservator of Forests & TA
to PCCF (HoFF),
Rajasthan, Jaipur

Signature of Contractor
(Name and Address, Telephone No.)

विशेष शर्तें

1. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
3. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
4. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के उत्तरदायी होगा।
6. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
7. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।



Conservator of Forests & TA
to PCCF (HoFF),
Rajasthan, Jaipur

Signature of Contractor
(Name and Address, Telephone No.)